

न्यायालय विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज., जयपुर।
(हाल कार्यालय राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर)

क्रमांक :- ओ.एस.डी./नविवि/12/

अवार्ड



विषय:-केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 यथा संशोधित 1984 की धारा 11 के तहत राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजना ग्राम बदनगढ़ी कस्बा खेडली (मण्डी), जिला अलवर में कुल रकबा 23.27 हैक्टेयर का अवार्ड जारी करने बाबत।

सन्दर्भ:-अधिसूचना क्रमांक पं.7(7)न.वि.वि./III/07 दिनांक 03.06.08

राजस्थान आवासन मण्डल हेतु सार्वजनिक हित में आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि अवाप्ति की अधिसूचना ग्राम बदनगढ़ी, कस्बा खेडली (मण्डी), जिला अलवर के लिए अन्तर्गत धारा 4(1) राज्य सरकार द्वारा दिनांक 03.06.08 को जारी की गयी जिसमें भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 4(2) के तहत विशेषाधिकारी नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, हाल कार्यालय राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को भूमि अधिग्रहण हेतु अधिकृत किया गया।

उक्त अधिसूचना का 13.06.08 को राजस्थान राज-पत्र के विशेषांक में प्रकाशन कराया गया। सार्वजनिक हित में व्यापक प्रचार-प्रसार की दृष्टि से अधिसूचना के पब्लिक नोटिस दिनांक 05.02.09 को सम्बन्धित को जारी कर जरिए आवासीय अभियंता तामील करवाए गये जिनकी तामिली की अन्तिम दिनांक 12.03.09 अंकित की गयी है। इसी प्रकार अधिसूचना का दो समाचार पत्रों में यथा "राजस्थान पत्रिका" व "दैनिक अरुण प्रभा" अलवर में दिनांक 04.07.08 को प्रकाशन करवाया गया। इस प्रकार धारा 4(1) की अन्तिम प्रकाशन की तिथि 12.03.09 निश्चित की गयी है।

प्रकरण में विशेषाधिकारी द्वारा मौके का निरीक्षण दिनांक 20.05.09 को आवासीय अभियंता व हल्का पटवारी के साथ किया गया जिसमें धारा 4(1) के समय प्राप्त सभी आपत्तियों को निरस्त कर मौका दिनांक 02.06.09 रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित की गई जिसमें कुल 23.27 हैक्टेयर भूमि अवाप्त किया जाना प्रस्तावित किया गया। इसी के आधार पर राज्य सरकार द्वारा धारा 6 की अधिसूचना दिनांक 16.07.09 को 23.27 हैक्टेयर की जारी की गयी जिसका राजस्थान के राजपत्र के विशेषांक में 03.08.09 को प्रकाशन करवाया गया तथा दो स्थानीय समाचार पत्रों में "राजस्थान पत्रिका" व "दैनिक भास्कर" में दिनांक 06.11.09 को प्रकाशन करवाया गया। पब्लिक नोटिस अन्तर्गत धारा 6(2) दिनांक 16.12.09 को जारी कर जरिए आवासीय अभियंता तामील करवाये गये। इस प्रकार तामिली की अन्तिम दिनांक 30.03.10 अंकित की गई। अवाप्ति प्रक्रिया में आगे व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु सार्वजनिक हित में धारा 9(1) के नोटिस दिनांक 07.04.10 को एवं धारा 9(3) के व्यक्तिगत नोटिस दिनांक 07.09.10 एवं 22.09.10 को जारी कर जरिए आवासीय अभियंता तामील करवाये गये जिसमें खातेदारों से राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 27.10.05 के क्रम में विकसित भूखण्ड लेने का विकल्प भी प्रस्तुत किया जा सकता है, बाबत सूचित किया गया। धारा 9(3) के व्यक्तिगत नोटिस के क्रम में खसरा नं. 141, 142, 143, 144, 170, 172, 173, 175, 185, 186, 187, 188, 193, 116/260 के कास्तगारो/हितधारियो ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया की कि प्रार्थियों को 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड आवंटित किया जावे।

मण्डल को पत्र दिनांक 14.12.10 एवं 07.10.11 द्वारा खातेदारों से प्राप्त 25 प्रतिशत विकसित भूमि के प्रार्थना पत्र की प्रति प्रेषित कर टिप्पणी मांगी गई। इसके प्रत्युत्तर में सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल ने अपने पत्र दिनांक 29.03.11 व 02.11.11 द्वारा सूचित किया गया बोर्ड की बैठक संख्या 203 में बैठक प्रस्ताव

का अनुमोदन सूची क्रमांक 10 पर किया गया उसी के अनुरूप खसरा नम्बरों में 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड चाहने वाले खातेदारों/हितधारियों को भूखण्ड दिए जाने से मण्डल सिद्धान्तः सहमत है तथा अवार्ड जारी करने का अनुरोध किया।

धारा 6 की अधिसूचना के अनुसार ग्राम बदनगढ़ी, कस्बा खेडली (मण्डी), जिला अलवर में अवाप्ताधीन भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र. सं.	खातेदार का नाम एवं पिता का नाम	खसरा संख्या	कुल रकबा हैक्टेयर	विवरण
1.	श्री रामचरण राजाराम पिता सावंलिया कौम हैवासी ब्रा.सा. देह	122	0.33	उहरी
2.	जगन, रामजी लाल, रामखिलाड़ी बाबूला इत्यादि	123	0.60	उहरी सोयम
3.	जगन, रामजी लाल, रामखिलाड़ी, बाबूला इत्यादि	124	0.67	उहरी सोयम
4.	जगन रामजीलाल इत्यादि	126	0.20	उहरी सोयम
5.	श्री जगन रामजीलाल इत्यादि	127	0.14	उहरी सोयम
6.	श्री रामचरण पिता सावंलिया कौम हैवासी ब्रा.सा. देह	128/268	0.08	—
7.	श्री रामकिशोर पिता मंगल, मथुरा, हरीप्रसाद इत्यादि	129	0.85	उहरी सोयम
8.	श्री रामकिशोर पिता मंगल, इत्यादि	131	0.42	उहरी सोयम
9.	श्री रामकिशोर पिता मंगल, मथुरा, हरीप्रसाद इत्यादि	132	0.33	उहरी सोयम
10.	श्री मंगल पुत्र बिरजा	133	0.51	बंजड़
11.	श्री रामचरण राजाराम इत्यादि	134	1.15	उहरी सोयम
12.	श्री राजाराम पुत्र सावंलिया	135	0.25	बारानी
13.	श्री केशो, रामरतन, मोहरा सिंह पिता सांझा	136	0.31	उहरी सोयम
14.	रामचरण राजाराम पिता सावंलिया	137	0.49	उहरी सोयम
15.	रामचन्द्र पुत्र रुग्गा	141	0.52	उहरी सोयम
16.	उम्मेदी लाल पुत्र बोदन	142	0.30	उहरी सोयम
17.	बोदन पुत्र चतरु	143	0.24	उहरी सोयम
18.	बोदन पुत्र चतरु	144	0.07	उहरी सोयम
19.	विशम्भर दयाल, बैद्यनाथ, राजेश कुमार इत्यादि	167	1.87	बारानी
20.	रामजीलाल पुत्र मुकुन्दा	168	0.21	उहरी सोयम
21.	कुन्दन पुत्र मुकुन्दा	169	0.14	उहरी सोयम
22.	मन्नु सुखराम इत्यादि	170	0.07	गै.मु.चाह
23.	मन्नु सुखराम इत्यादि	171	0.16	उहरी सोयम
24.	सोन्या, राम, किशनलाल पिता गंगाधर	172	0.61	उहरी सोयम
25.	सोन्या, राम, किशनलाल पिता गंगाधर	173	0.58	उहरी सोयम
26.	रामजीलाल पुत्र मंकन्दा	174	0.76	उहरी सोयम
27.	कुन्दन पुत्र मुकुन्दा	175	0.47	उहरी सोयम
28.	गंगलराम पुत्र नत्थी	176	0.70	उहरी सोयम
29.	नत्थी, रमेश पुत्र रामूलाल	177	0.61	उहरी सोयम
30.	रामचरण पुत्र सावंलिया	180	0.16	उहरी सोयम
31.	रामचरण पुत्र सावंलिया	181	0.21	उहरी सोयम
32.	रामचरण पुत्र सावंलिया	182	0.37	उहरी सोयम
33.	रामचरण पुत्र सावंलिया	183	0.82	उहरी सोयम
34.	रामस्वरूप पुत्र मन्नू इत्यादि	185	1.00	उहरी सोयम
35.	रामचन्दन पुत्र रुग्गा	186	1.32	उहरी सोयम
36.	लक्ष्मण, जगनी पिता जोरा	187	0.76	बारानी सोयम
37.	प्रभु पुत्र नारायण	188	0.91	उहरी सोयम
38.	रामकिशोर पिता मंगल इत्यादि	189	0.59	उहरी सोयम
39.	रामकिशोर पिता मंगल इत्यादि	190	0.44	उहरी सोयम
40.	सूरजमल पुत्र बुल्ली	191	0.96	उहरी सोयम
41.	सूरजमल पुत्र बुल्ली	192	0.53	उहरी सोयम
42.	विश्वम्भर दयाल, बैद्यनाथ, राजेशकुमार इत्यादि	193	0.49	उहरी सोयम
43.	कृपा दयाल, प्रहलाद सहाय इत्यादि	194	0.29	गैर आबादी(उहरी सोयम)
44.	किशन, प्रभु पिता गंगाधर	195	0.32	उहरी सोयम
45.	रामखिलाड़ी रेवती पिता छाटा	196	0.34	उहरी सोयम
46.	जगराम, गौरीशंकर, गणेशी, रामगोपाल पि. प्रभु	116/260	0.06	बारानी
47.	मंगल पुत्र बिरजा	116/259	0.06	बारानी
	कुल		23.27 है.	

नगरपालिका विकास विभाग
नगरपालिका, जयपुर

अवाप्ताधीन भूमि के खसरा नं. 141, रकबा 0.52 है. 186 रकबा 1.32 है., 172 रकबा 0.61 है., 173, रकबा 0.58 है., 170 रकबा 0.07 है., 142 रकबा 0.30 है., 143 रकबा 0.24 है., 144 रकबा 0.07 है. 169 रकबा 0.14 है., 175 रकबा 0.47 है., 185 रकबा 1.00 है., 188 रकबा 0.91 है., 116/260 रकबा 0.06 है., 171 रकबा 0.16 है., 174 रकबा 0.76 है., 122 रकबा 0.33 है., 134 रकबा 1.15 है., 137 रकबा 0.49 है., 128/268 रकबा 0.08 है., 135 रकबा 0.25 है. 180 रकबा 0.16 है., 181 रकबा 0.21 है., 182 रकबा 0.37 है., 183 रकबा 0.82 है., 193 रकबा 0.49 है., खसरान में खातेदारान/हितधारियों द्वारा नाम संशोधन एवं 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड देने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए। उक्त प्रार्थियों के प्रार्थना पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं जमाबन्दी में खातेदारी के अनुसार उक्त खसरो में प्रार्थियों का नाम संशोधन कर अधिसूचना में संशोधन किया जाने को निर्णय दिनांक 15.12.10 को लिया गया। इसी प्रकार खसरा नं. 193 में खातेदार लालाराम पुत्र भम्भोला ने 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड लिए जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 03.03.11 को प्रेषित किया जिसमें राजस्व रिकार्ड के अनुसार नाम संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया जिनकी मण्डल द्वारा सिद्धान्तः सहमति क्रमशः 29.03.11 एवं 02.11.11 को देते हुए अवार्ड जारी करने का अनुरोध किया।

ग्राम बदनगढ़ी कस्बा खेडली (मण्डी), जिला अलवर में अवाप्ताधीन भूमि का संशोधित विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र. सं.	खातेदार का नाम एवं पिता का नाम	खसरा संख्या	कुल रकबा हैक्टेयर	विवरण
1.	राजाराम पिता सावलिया कौम हैवासी ब्रा.सा. देह	122	0.33	उहरी
2.	जगन, रामजी लाल, रामखिलाड़ी बाबूला इत्यादि	123	0.60	उहरी सोयम
3.	जगन, रामजी लाल, रामखिलाड़ी, बाबूला इत्यादि	124	0.67	उहरी सोयम
4.	जगन रामजीलाल इत्यादि	126	0.20	उहरी सोयम
5.	श्री जगन रामजीलाल इत्यादि	127	0.14	उहरी सोयम
6.	राजाराम पिता सावलिया कौम हैवासी ब्रा.सा. देह	128/268	0.08	—
7.	श्री रामकिशोर पिता मंगल, मथुरा, हरीप्रसाद इत्यादि	129	0.85	उहरी सोयम
8.	श्री रामकिशोर पिता मंगल, इत्यादि	131	0.42	उहरी सोयम
9.	श्री रामकिशोर पिता मंगल, मथुरा, हरीप्रसाद इत्यादि	132	0.33	उहरी सोयम
10.	श्री मंगल पुत्र बिरजा	133	0.51	बंजड़
11.	श्री त्रिलोकचंद पुत्र रामचरण हैवासी ब्रा. सा. देह राहिन पी.एन.बी. खेडली	134	1.15	उहरी सोयम
12.	श्री त्रिलोकचंद पुत्र रामचरण हैवासी ब्रा. सा. देह राहिन पी.एन.बी. खेडली	135	0.25	बारानी
13.	श्री केशो, रामरतन, मोहरा सिंह पिता सांझा	136	0.31	उहरी सोयम
14.	श्री त्रिलोकचंद पुत्र रामचरण हैवासी ब्रा. सा. देह राहिन पी.एन.बी. खेडली	137	0.49	उहरी सोयम
15.	जगदीश पूरन पि. मक्खन 1/2 हि.ब., जीतेन्द्र, सुगन, गोविन्दा, राजेश पि. विजयसिंह 1/2 हि.ब. कौम मीणा	141	0.52	उहरी सोयम
16.	रमेशचन्द, महेशचन्द, सुरेशचन्द, दिनेशचन्द पि. उम्मेदी कौम मीणा सा. सौखर खातेदार राहिन हि. रमेशचन्द, सुरेशचन्द एस.बी.आई. खेडली	142	0.30	उहरी सोयम
17.	रमेशचन्द, महेशचन्द, सुरेशचन्द, दिनेशचन्द पि. उम्मेदी कौम मीणा सा. सौखर खातेदार राहिन हि. रमेशचन्द, सुरेशचन्द एस.बी.आई. खेडली	143	0.24	उहरी सोयम
18.	रमेशचन्द, महेशचन्द, सुरेशचन्द, दिनेशचन्द पि. उम्मेदी कौम मीणा सा. सौखर खातेदार राहिन हि. रमेशचन्द, सुरेशचन्द एस.बी.आई. खेडली	144	0.07	उहरी सोयम
19.	विशम्भर दयाल, बैद्यनाथ, राजेश कुमार इत्यादि	167	1.87	बारानी
20.	रामजीलाल पुत्र मुकन्दा	168	0.21	उहरी सोयम
21.	सुमेशसिंह, रामकरण पि. कुन्दन सा. सौखर राहिन पी.एन.बी. खेडली	169	0.14	उहरी सोयम

479

22.	सुगर राम पि. भोला हि. 1/8, रामस्वरूप, रामसिंह पि. मन्नू घोगल पुत्री मन्नू हि. 1/8 हि. ब. कौम मीणा सोन्या किशन पि. गंगाधर हि. 1/4, जगदीश पूरण पि. मक्खन हि. 1/8 हि.ब. , जीतेन्द्र, सुगन, गोविन्दा, राजेश पि. विजयसिंह हि. 1/8 हि.ब. कौम मीणा, समयसिंह, रामकरण पि. कुन्दन, सुन्दर पुत्री कुन्दन हि. 1/12, रामजीलाल पि. मुकुन्दा हि. 1/12, रुक्मणी बेवा शिम्भू, हूकम, अमीचन्द पि. शिम्भू गुडडी पुत्री शिम्भू हि. 1/12	170	0.07	गै.मु.चाह
23.	रामस्वरूप, रामसिंह पि. मन्नू घोगल पुत्री मन्नू हि. 1/4 हि.ब. कौम मीणा सुगरराम पि. भोला हि. 1/4, समयसिंह, रामकरण पि. कुन्दन, सुन्दर पुत्री कुन्दन हि. 1/2	171	0.16	डहरी सोयम
24.	संजय दत्तक पुत्र सोन्याराम राहिन एस.बी.आई. थून 1/2, किशन पुत्र गंगाधर 1/2 कौम मीणा सा. सौखर	172	0.61	डहरी सोयम
25.	संजय दत्तक पुत्र सोन्याराम राहिन एस.बी.आई. थून 1/2, किशन पुत्र गंगाधर 1/2 कौम मीणा सा. सौखर	173	0.58	डहरी सोयम
26.	रामजीलाल पुत्र मुकुन्दा किरण पत्नी अमरसिंह मीणा सा. सौखर	174	0.76	डहरी सोयम
27.	समयसिंह, रामकरण पि. कुन्दन सा. सौखर राहिन पी.एन.बी. खेडली	175	0.47	डहरी सोयम
28.	गंगलराम पुत्र नत्थी	176	0.70	डहरी सोयम
29.	नत्थी, रमेश पुत्र रामूलाल	177	0.61	डहरी सोयम
30.	राजाराम पिता सावलिया कौम हैवासी ब्रा.सा. देह	180	0.16	डहरी सोयम
31.	राजाराम पिता सावलिया कौम हैवासी ब्रा.सा. देह	181	0.21	डहरी सोयम
32.	राजाराम पिता सावलिया कौम हैवासी ब्रा.सा. देह	182	0.37	डहरी सोयम
33.	राजाराम पिता सावलिया कौम हैवासी ब्रा.सा. देह	183	0.82	डहरी सोयम
34.	रामस्वरूप पुत्र मन्नू हि. 1/2, जगनी पुत्र जौरा हि. 1/2 कौम मीणा सा. सौखर राहिन हि. जगनी एस.बी.आई. खेडली	185	1.00	डहरी सोयम
35.	जगदीश पूरण पि. मक्खन 1/2 हि.ब., जीतेन्द्र, सुगन, गोविन्दा, राजेश पि. विजयसिंह 1/2 हि. ब. कौम मीणा	186	1.32	डहरी सोयम
36.	लक्ष्मण, जगनी पिता जोरा	187	0.76	बारानी सोयम
37.	जगराम, गौरीशंकर, गणेशी, रामगोपाल पि. प्रभु कौम हैवासी ब्रा.सा. देह राहिन एस.बी.आई. खेडली	188	0.91	डहरी सोयम
38.	रामकिशोर पिता मंगल इत्यादि	189	0.59	डहरी सोयम
39.	रामकिशोर पिता मंगल इत्यादि	190	0.44	डहरी सोयम
40.	सूरजमल पुत्र बुल्ली	191	0.96	डहरी सोयम
41.	सूरजमल पुत्र बुल्ली	192	0.53	डहरी सोयम
42.	विश्वम्भर दयाल, बैद्यनाथ, राजेशकुमार पि. मिश्रीलाल हि. 3/4, लालाराम पि. भम्भोला 1/4	193	0.49	डहरी सोयम
43.	कृपा दयाल, प्रहलाद, सहाय इत्यादि	194	0.29	गैर आबादी(डहरी सोयम)
44.	किशन, प्रभु पिता गंगाधर	195	0.32	डहरी सोयम
45.	रामखिलाड़ी रेवती पिता छाटा	196	0.34	डहरी सोयम
46.	जगराम, गौरीशंकर, गणेशी, रामगोपाल पि. प्रभु कौम हैवासी ब्रा.सा. देह राहिन एस.बी.आई. खेडली	116/260	0.06	बारानी
47.	मंगल पुत्र बिरजा	116/259	0.06	बारानी
कुल			23.27 है.	

आनुवंशिक
 नगरपालिका प्रमुख
 नगरपालिका प्रमुख
 नगरपालिका प्रमुख

भूमि का मुआवजा निर्धारित करने हेतु सम्बन्धित आवासीय अभियंता से धारा 4(1) की अधिसूचना की दिनांक 03.06.08 को प्रचलित भूमि की डी.एल.सी. दरें व तकमीना मंगवाने हेतु दिनांक 12.01.12 को सूचित किया गया। उप पंजीयक कटूमर द्वारा प्रेषित डी.एल.सी. की प्रमाणित दरें आवासीय अभियंता के माध्यम से दिनांक 01.02.12 को प्राप्त हुई जिसमें डी.एल.सी. दरें प्रति हैक्टेयर निम्न प्रकार दर्शायी गई।

सिंचित		असिंचित	
सड़क/आबादी के पास	सड़क/आबादी से दूर	सड़क/आबादी के पास	सड़क/आबादी के दूर
10,00,000/- रु. प्रति हैक्ट.	4,40,000/- रु. प्रति हैक्ट.	8,00,000/- रु. प्रति हैक्ट.	4,00,000/- रु. प्रति हैक्ट.

आवासीय अभियंता, खण्ड-अलवर के पत्र दिनांक 01.02.12 में संलग्न नक्शा मौका/डी.एल.सी. दरों के अनुसार खसरा नं. 122, 194 सड़क से लगते हुए है।

आवाप्ताधीन कृषि भूमि के अन्तर्गत सिंचित/असिंचित श्रेणी की है तथा भूमि की आवासीय योजना हेतु उपयुक्तता एवं भविष्य में होने वाले विकास तथा पौटेन्शियलटी को ध्यान में रखते हुये भू-अर्जन अधिनियम की धारा 23 में वर्णित अन्य दिग्दर्शकों के सन्दर्भित तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त भूमि के अन्तर्गत सिंचित श्रेणी में सड़क/आबादी के पास तक 10,00,000/-रु. व सड़क/आबादी से दूर तक 4,40,000/-रूपये, एवं असिंचित श्रेणी में सड़क/आबादी के पास तक 8,00,000/-रु. व सड़क/आबादी से दूर तक होने के कारण 4,00,000/-रूपये, प्रति हैक्टेयर की दर से दिया जाना प्रस्तावित है। आवासीय अभियंता द्वारा तकमीना में खसरा नं. 134, 192 में बोरिंग व 172 में कुंआ, होना सूचित किया लेकिन तकमीना राशि सम्बन्धित बी.एस.आर. से नहीं होने के कारण वर्तमान में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। मुआवजा राशि की गणना निम्न प्रकार से की जाती है:-

वाद सं.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हैक्टेयर	नगद मुआवजा/ 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड	
7(7) 8/1	राजाराम पिता सावलिया कौम हैवासी ब्रा.सा. देह	122	0.33	10000 प्रति एयर भूमि कीमत	330000
				तकमीना मण्डल अनुसार	—
				अ	330000
				30% अनिवार्य अवाप्ति ब	99000
				योग अ+ब	429000
नोट:—वर्तमान में स्थगन/रिट याचिका सं. 7211/2009 विचाराधीन होने के कारण प्रभावित भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही/मुआवजा राशि की गणना माननीय उच्च न्यायालय के अध्यक्षीन होगी।					
7(7) 8/2	जगन, रामजी लाल, रामखिलाड़ी बाबूला इत्यादि	123	0.60	4400 प्रति एयर भूमि कीमत	264000
				तकमीना मण्डल अनुसार	—
				अ	264000
				30% अनिवार्य अवाप्ति ब	79200
				योग अ+ब	343200
नोट:—वर्तमान में स्थगन/रिट याचिका सं. 8462/2010 विचाराधीन होने के कारण प्रभावित भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही/मुआवजा राशि की गणना माननीय उच्च न्यायालय के अध्यक्षीन होगी।					
7(7) 8/3	जगन, रामजी लाल, रामखिलाड़ी, बाबूला इत्यादि	124	0.67	4400 प्रति एयर भूमि कीमत	294800
				तकमीना मण्डल अनुसार	—
				अ	294800
				30% अनिवार्य अवाप्ति ब	88440
				योग अ+ब	383240
नोट:—वर्तमान में स्थगन/रिट याचिका सं. 8462/2010 विचाराधीन होने के कारण प्रभावित भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही/मुआवजा राशि की गणना माननीय उच्च न्यायालय के अध्यक्षीन होगी।					

आवेदन सं. 122/2009
जगन लाल
रामजी लाल
रामखिलाड़ी
बाबूला इत्यादि

7(7) 8/4	जगन रामजीलाल इत्यादि	126	0.20	4400 प्रति एयर भूमि कीमत	88000
				तकमीना मण्डल अनुसार	—
				अ	88000
				30% अनिवार्य अवाप्ति ब	26400
				योग अ+ब	114400
नोट:—वर्तमान में स्थगन/रिट याचिका सं. 8462/2010 विचाराधीन होने के कारण प्रभावित भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही/मुआवजा राशि की गणना माननीय उच्च न्यायालय के अध्यक्षीन होगी।					
7(7) 8/5	श्री जगन रामजीलाल इत्यादि	127	0.14	4400 प्रति एयर भूमि कीमत	61600
				तकमीना मण्डल अनुसार	—
				अ	61600
				30% अनिवार्य अवाप्ति ब	18480
				योग अ+ब	80080
नोट:—वर्तमान में स्थगन/रिट याचिका सं. 8462/2010 विचाराधीन होने के कारण प्रभावित भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही/मुआवजा राशि की गणना माननीय उच्च न्यायालय के अध्यक्षीन होगी।					
7(7) 8/6	राजाराम पिता सावलिया कौम हैवासी ब्रा.सा. देह	128/268	0.08	4400 प्रति एयर भूमि कीमत	35200
				तकमीना मण्डल अनुसार	—
				अ	35200
				30% अनिवार्य अवाप्ति ब	10560
				योग अ+ब	45760
नोट:—वर्तमान में स्थगन/रिट याचिका सं. 7211/2009 विचाराधीन होने के कारण प्रभावित भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही/मुआवजा राशि की गणना माननीय उच्च न्यायालय के अध्यक्षीन होगी।					
7(7) 8/7	श्री रामकिशोर पिता मंगल, मथुरा, हरीप्रसाद इत्यादि	129	0.85	4400 प्रति एयर भूमि कीमत	374000
				तकमीना मण्डल अनुसार	—
				अ	374000
				30% अनिवार्य अवाप्ति ब	112200
				योग अ+ब	486200
नोट:—वर्तमान में रिट याचिका सं. 13682/2010 विचाराधीन होने के कारण प्रभावित भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही/मुआवजा राशि की गणना माननीय उच्च न्यायालय के अध्यक्षीन होगी।					
7(7) 8/8	श्री रामकिशोर पिता मंगल, इत्यादि	131	0.42	4400 प्रति एयर भूमि कीमत	184800
				तकमीना मण्डल अनुसार	—
				अ	184800
				30% अनिवार्य अवाप्ति ब	55440
				योग अ+ब	240240
7(7) 8/9	श्री रामकिशोर पिता मंगल, मथुरा, हरीप्रसाद इत्यादि	132	0.33	4400 प्रति एयर भूमि कीमत	145200
				तकमीना मण्डल अनुसार	—
				अ	145200
				30% अनिवार्य अवाप्ति ब	43560
				योग अ+ब	188760
7(7) 8/ 10	श्री मंगल पुत्र बिरजा	133	0.51	4000 प्रति एयर भूमि कीमत	204000
				तकमीना मण्डल अनुसार	—
				अ	204000
				30% अनिवार्य अवाप्ति ब	61200
				योग अ+ब	265200
7(7) 8/ 11	श्री त्रिलोकचंद पुत्र रामचरण हैवासी ब्रा. सा. देह राहिन पी. एन.बी. खेडली	134	1.15	4400 प्रति एयर भूमि कीमत	506000
				तकमीना मण्डल अनुसार	—
				अ	506000
				30% अनिवार्य अवाप्ति ब	151800
				योग अ+ब	657800
नोट:—वर्तमान में स्थगन/रिट याचिका सं. 8463/2010 विचाराधीन होने के कारण प्रभावित भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही/मुआवजा राशि की गणना माननीय उच्च न्यायालय के अध्यक्षीन होगी।					

7(7) 8/12	श्री त्रिलोकचंद पुत्र रामचरण हैवासी ब्रा. सा. देह राहिन पी. एन.बी. खेडली	135	0.25	4000 प्रति एयर भूमि कीमत	1,00,000
				तकमीना मण्डल अनुसार	—
				अ	1,00,000
				30% अनिवार्य अवाप्ति ब	30,000
				योग अ+ब	1,30,000
नोट:-वर्तमान में स्थगन/रिट याचिका सं. 8463/2010 विचाराधीन होने के कारण प्रभावित भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही/मुआवजा राशि की गणना माननीय उच्च न्यायालय के अध्यक्षीन होगी।					
7(7) 8/13	श्री केशो, रामरतन, मोहरा सिंह पिता सांझा	136	0.31	4400 प्रति एयर भूमि कीमत	136400
				तकमीना मण्डल अनुसार	—
				अ	136400
				30% अनिवार्य अवाप्ति ब	40920
				योग अ+ब	177320
नोट:-वर्तमान में स्थगन/रिट याचिका सं. 8463/2010 विचाराधीन होने के कारण प्रभावित भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही/मुआवजा राशि की गणना माननीय उच्च न्यायालय के अध्यक्षीन होगी।					
7(7) 8/14	श्री त्रिलोकचंद पुत्र रामचरण हैवासी ब्रा. सा. देह राहिन पी. एन.बी. खेडली	137	0.49	4400 प्रति एयर भूमि कीमत	215600
				तकमीना मण्डल अनुसार	—
				अ	215600
				30% अनिवार्य अवाप्ति ब	64680
				योग अ+ब	280280
नोट:-वर्तमान में स्थगन/रिट याचिका सं. 8463/2010 विचाराधीन होने के कारण प्रभावित भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही/मुआवजा राशि की गणना माननीय उच्च न्यायालय के अध्यक्षीन होगी।					
7(7) 8/15	जगदीश पूरन पि. मक्खन 1/2 हि.ब.,	141	0.52	4400 प्रति एयर भूमि कीमत	114400
				तकमीना मण्डल अनुसार	—
				अ	114400
				30% अनिवार्य अवाप्ति ब	34320
				योग अ+ब	148720
जितेन्द्र, सुगन, गोविन्दा, राजेश पि. विजयसिंह 1/2 हि.ब. कौम मीणा					
7(7) 8/16	रमेशचन्द, महेशचन्द, सुरेशचन्द, दिनेशचन्द पि. उम्मेदी कौम मीणा सा. सौखर खातेदार राहिन हि. रमेशचन्द, सुरेशचन्द एस.बी.आई. खेडली	142	0.30	खातेदारों द्वारा 25 प्रतिशत विकसित भुखण्ड की मांग किये जाने के कारण मुआवजा राशि की गणना नहीं की जा रही है।	
7(7) 8/17	रमेशचन्द, महेशचन्द, सुरेशचन्द, दिनेशचन्द पि. उम्मेदी कौम मीणा सा. सौखर खातेदार राहिन हि. रमेशचन्द, सुरेशचन्द एस.बी.आई. खेडली	143	0.24	खातेदारों द्वारा 25 प्रतिशत विकसित भुखण्ड की मांग किये जाने के कारण मुआवजा राशि की गणना नहीं की जा रही है।	
7(7) 8/18	रमेशचन्द, महेशचन्द, सुरेशचन्द, दिनेशचन्द पि. उम्मेदी कौम मीणा सा. सौखर खातेदार राहिन हि. रमेशचन्द, सुरेशचन्द एस.बी.आई. खेडली	144	0.07	खातेदारों द्वारा 25 प्रतिशत विकसित भुखण्ड की मांग किये जाने के कारण मुआवजा राशि की गणना नहीं की जा रही है।	
7(7) 8/19	विशम्भर दयाल, बैद्यनाथ, राजेश कुमार इत्यादि	167	1.87	4000 प्रति एयर भूमि कीमत	748000
				तकमीना मण्डल अनुसार	—
				अ	748000
				30% अनिवार्य अवाप्ति ब	224400
				योग अ+ब	972400

आदेश

4/10/2011

4/10/2011

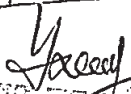
4/10/2011

7(7) 8/20	रामजीलाल पुत्र मुकन्दा	168	0.21	4400 प्रति एयर भूमि कीमत	92400
				तकमीना मण्डल अनुसार	—
				अ	92400
				30% अनिवार्य अवाप्ति ब	27720
				योग अ+ब	120120
7(7) 8/21	समयसिंह, रामकरण पि. कुन्दन सा. सौखर राहिन पी. एन.बी. खेडली	169	0.14	4400 प्रति एयर भूमि कीमत	61600
				तकमीना मण्डल अनुसार	
				अ	61600
				30% अनिवार्य अवाप्ति ब	18480
				योग अ+ब	80080
7(7) 8/22	सुगरराम पि. भोला हि. 1/8, रामस्वरूप, रामसिंह पि. मन्नू घोगल पुत्री मन्नू हि. 1/8 हि. ब. कौम मीणा, सोन्या हि. 1/8, जगदीश, पूरन पि. मक्खन हि. 1/8 हि.ब. समयसिंह, रामकरण पि. कुन्दन, सुन्दर पुत्री कुन्दन हि. 1/12, रामजीलाल पि. मुकन्दा हि. 1/12 रुक्मणि बेवा शिम्भू हूकम, अमीचन्द पि. शम्भू गुड्डी पुत्री शिम्भू हि. 1/12	170	0.07	4400 प्रति एयर भूमि कीमत	23100
				तकमीना मण्डल अनुसार	—
				अ	23100
				30% अनिवार्य अवाप्ति ब	6930
				योग अ+ब	30030
				किशन पि. गंगाधर हि. 1/8 जीतेन्द्र, सुगन, गोविन्दा, राजेश पि. विजयसिंह हि. 1/8 हि.ब. कौम मीणा	खातेदारों द्वारा 25 प्रतिशत विकसित भुखण्ड की मांग किये जाने के कारण मुआवजा राशि की गणना नहीं की जा रही है।
7(7) 8/23	रामस्वरूप, रामसिंह पि. मन्नू घोगल पुत्री मन्नू हि. 1/4 हि. ब. कौम मीणा सुगरराम पि. भोला हि. 1/4, समयसिंह, रामकरण पि. कुन्दन, सुन्दर पुत्री कुन्दन हि. 1/2	171	0.16	4400 प्रति एयर भूमि कीमत	70400
				तकमीना मण्डल अनुसार	—
				अ	70400
				30% अनिवार्य अवाप्ति ब	21120
				योग अ+ब	91520
7(7) 8/24	संजय दत्तक पुत्र सोन्याराम राहिन एस.बी.आई. थून 1/2, किशन पुत्र गंगाधर 1/2 कौम मीणा सा. सौखर	172	0.61	4400 प्रति एयर भूमि कीमत	134200
				तकमीना मण्डल अनुसार	—
				अ	134200
				30% अनिवार्य अवाप्ति ब	40260
				योग अ+ब	174460
				खातेदारों द्वारा 25 प्रतिशत विकसित भुखण्ड की मांग किये जाने के कारण मुआवजा राशि की गणना नहीं की जा रही है।	
7(7) 8/25	संजय दत्तक पुत्र सोन्याराम राहिन एस.बी.आई. थून 1/2 किशन पुत्र गंगाधर 1/2 कौम मीणा सा. सौखर	173	0.58	4400 प्रति एयर भूमि कीमत	127600
				तकमीना मण्डल अनुसार	—
				अ	127600
				30% अनिवार्य अवाप्ति ब	38280
				योग अ+ब	165880
				खातेदारों द्वारा 25 प्रतिशत विकसित भुखण्ड की मांग किये जाने के कारण मुआवजा राशि की गणना नहीं की जा रही है।	
7(7) 8/26	रामजीलाल पुत्र मुकन्दा किरण पत्नी अमरसिंह मीणा सा. सौखर	174	0.76	4400 प्रति एयर भूमि कीमत	334400
				तकमीना मण्डल अनुसार	—
				अ	334400
				30% अनिवार्य अवाप्ति ब	100320
				योग अ+ब	434720

7(7) 8/27	समयसिंह, रामकरण पि. कुन्दन सा. सौखर राहिन पी. एन.बी. खेडली	175	0.47	खातेदारों द्वारा 25 प्रतिशत विकसित भुखण्ड की मांग किये जाने के कारण मुआवजा राशि की गणना नहीं की जा रही है।	
7(7) 8/28	गंगलराम पुत्र नत्थी	176	0.70	4400 प्रति एयर भूमि कीमत	308000
				तकमीना मण्डल अनुसार	—
				अ	30800
				30% अनिवार्य अवाप्ति ब	92400
				योग अ+ब	400400
7(7) 8/29	नत्थी, रमेश पुत्र रामूलाल	177	0.61	4400 प्रति एयर भूमि कीमत	268400
				तकमीना मण्डल अनुसार	—
				अ	268400
				30% अनिवार्य अवाप्ति ब	80520
				योग अ+ब	348920
7(7) 8/30	राजाराम पिता सावंलिया कौम हैवासी ब्रा.सा. देह	180	0.16	4400 प्रति एयर भूमि कीमत	70400
				तकमीना मण्डल अनुसार	—
				अ	70400
				30% अनिवार्य अवाप्ति ब	21120
				योग अ+ब	91520
नोट:-वर्तमान में स्थगन/रिट याचिका सं. 7211/2009 विचाराधीन होने के कारण प्रभावित भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही/मुआवजा राशि की गणना माननीय उच्च न्यायालय के अध्यक्षीन होगी।					
7(7) 8/31	राजाराम पिता सावंलिया कौम हैवासी ब्रा.सा. देह	181	0.21	4400 प्रति एयर भूमि कीमत	92400
				तकमीना मण्डल अनुसार	—
				अ	92400
				30% अनिवार्य अवाप्ति ब	27720
				योग अ+ब	120120
नोट:-वर्तमान में स्थगन/रिट याचिका सं. 7211/2009 विचाराधीन होने के कारण प्रभावित भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही/मुआवजा राशि की गणना माननीय उच्च न्यायालय के अध्यक्षीन होगी।					
7(7) 8/32	राजाराम पिता सावंलिया कौम हैवासी ब्रा.सा. देह	182	0.37	4400 प्रति एयर भूमि कीमत	162800
				तकमीना मण्डल अनुसार	—
				अ	162800
				30% अनिवार्य अवाप्ति ब	48840
				योग अ+ब	211640
नोट:-वर्तमान में स्थगन/रिट याचिका सं. 7211/2009 विचाराधीन होने के कारण प्रभावित भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही/मुआवजा राशि की गणना माननीय उच्च न्यायालय के अध्यक्षीन होगी।					
7(7) 8/33	राजाराम पिता सावंलिया कौम हैवासी ब्रा.सा. देह	183	0.82	4400 प्रति एयर भूमि कीमत	360800
				तकमीना मण्डल अनुसार	—
				अ	360800
				30% अनिवार्य अवाप्ति ब	108240
				योग अ+ब	469040
नोट:-वर्तमान में स्थगन/रिट याचिका सं. 7211/2009 विचाराधीन होने के कारण प्रभावित भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही/मुआवजा राशि की गणना माननीय उच्च न्यायालय के अध्यक्षीन होगी।					
7(7) 8/34	रामस्वरूप पुत्र मन्नू हि. 1/2, जगनी पुत्र जौरा हि. 1/2 कौम मीणा सा. सौखर राहिन हि. जगनी एस.बी.आई. खेडली	185	1.00	खातेदारों द्वारा 25 प्रतिशत विकसित भुखण्ड की मांग किये जाने के कारण मुआवजा राशि की गणना नहीं की जा रही है।	
				4400 प्रति एयर भूमि कीमत	220000
	तकमीना मण्डल अनुसार			—	
	अ			220000	
	30% अनिवार्य अवाप्ति ब			66000	
	योग अ+ब			286000	
जगनी पुत्र जौरा हि. 1/2 कौम मीणा सा. सौखर राहिन हि. जगनी एस.बी.आई. खेडली					

7(7) 8/35	जगदीश पूरन पि. मकखन 1/2 हि.ब., जितेन्द्र, सुगन, गोविन्दा, राजेश पि. विजयसिंह 1/2 हि.ब. कौम मीणा	186	1.32	4400 प्रति एयर भूमि कीमत	290400
				तकमीना मण्डल अनुसार	—
				अ	290400
				30% अनिवार्य अवाप्ति ब	87120
				योग अ+ब	377520
				खातेदारों द्वारा 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड की मांग किये जाने के कारण मुआवजा राशि की गणना नहीं की जा रही है।	
7(7) 8/36	लक्ष्मण, पिता जोरा जगनी पिता जोरा	187	0.76	4400 प्रति एयर भूमि कीमत	167200
				तकमीना मण्डल अनुसार	—
				अ	167200
				30% अनिवार्य अवाप्ति ब	50160
				योग अ+ब	217360
				खातेदारों द्वारा 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड की मांग किये जाने के कारण मुआवजा राशि की गणना नहीं की जा रही है।	
7(7) 8/37	जगराम, गौरीशंकर, गणेशी, रामगोपाल पि. प्रभु कौम हैवासी ब्रा.सा. देह राहिन एस. बी.आई. खेडली	188	0.91	खातेदारों द्वारा 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड की मांग किये जाने के कारण मुआवजा राशि की गणना नहीं की जा रही है।	
7(7) 8/38	रामकिशोर पिता मंगल इत्यादि	189	0.59	4400 प्रति एयर भूमि कीमत	259600
				तकमीना मण्डल अनुसार	—
				अ	259600
				30% अनिवार्य अवाप्ति ब	77880
				योग अ+ब	337480
7(7) 8/39	रामकिशोर पिता मंगल इत्यादि	190	0.44	4400 प्रति एयर भूमि कीमत	193600
				तकमीना मण्डल अनुसार	—
				अ	193600
				30% अनिवार्य अवाप्ति ब	58080
				योग अ+ब	251680
7(7) 8/40	सूरजमल पुत्र बुल्ली	191	0.96	4400 प्रति एयर भूमि कीमत	422400
				तकमीना मण्डल अनुसार	—
				अ	422400
				30% अनिवार्य अवाप्ति ब	126720
				योग अ+ब	549120
नोट:—वर्तमान में रिट याचिका सं. 2179/2012 विचाराधीन होने के कारण प्रभावित भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही/मुआवजा राशि की गणना माननीय उच्च न्यायालय के अध्यक्षीन होगी।					
7(7) 8/41	सूरजमल पुत्र बुल्ली	192	0.53	4400 प्रति एयर भूमि कीमत	233200
				तकमीना मण्डल अनुसार	—
				अ	233200
				30% अनिवार्य अवाप्ति ब	69960
				योग अ+ब	303160
नोट:—वर्तमान में स्थगन/रिट याचिका सं. 2179/2012 विचाराधीन होने के कारण प्रभावित भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही/मुआवजा राशि की गणना माननीय उच्च न्यायालय के अध्यक्षीन होगी।					

अनुमोदित


 जिला अधिकारी-प्रथम
 नगरपालिका विकास विभाग
 काठमाडौं नगरपालिका, काठमाडौं

8/42	विश्वम्भर दयाल, बैद्यनाथ, राजेशकुमार पि. मिश्रीलाल हि. 1/2,	193	0.49	4400 प्रति एयर भूमि कीमत	107800
				तकमीना मण्डल अनुसार	—
				अ	107800
				30% अनिवार्य अवाप्ति ब	32340
				योग अ+ब	140140
	लालाराम पि. भम्भोला 1/2			खातेदारों द्वारा 25 प्रतिशत विकसित भुखण्ड की मांग किये जाने के कारण मुआवजा राशि की गणना नहीं की जा रही है।	
7(7) 8/43	कृपा दयाल, प्रहलाद, सहाय इत्यादि	194	0.29	10,000 प्रति एयर भूमि कीमत	290000
				तकमीना मण्डल अनुसार	—
				अ	290000
				30% अनिवार्य अवाप्ति ब	87000
				योग अ+ब	377000
7(7) 8/44	किशन, प्रभू पिता गंगाधर	195	0.32	4400 प्रति एयर भूमि कीमत	140800
				तकमीना मण्डल अनुसार	—
				अ	144800
				30% अनिवार्य अवाप्ति ब	42240
				योग अ+ब	183040
7(7) 8/45	रामखिलाड़ी रेवती पिता छाटा	196	0.34	4400 प्रति एयर भूमि कीमत	149600
				तकमीना मण्डल अनुसार	—
				अ	149600
				30% अनिवार्य अवाप्ति ब	44880
				योग अ+ब	194480
7(7) 8/46	जगराम, गौरीशंकर, गणेशी, रामगोपाल पि. प्रभु कौम हैवासी ब्रा.सा. देह राहिन एस. बी.आई. खेडली	116/260	0.06	खातेदारों द्वारा 25 प्रतिशत विकसित भुखण्ड की मांग किये जाने के कारण मुआवजा राशि की गणना नहीं की जा रही है।	
7(7) 8/47	मंगल पुत्र बिरजा	116/259	0.06	4000 प्रति एयर भूमि कीमत	24000
				तकमीना मण्डल अनुसार	—
				अ	24000
				30% अनिवार्य अवाप्ति ब	7200
				योग अ+ब	31200

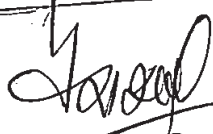
खातेदारों को उपयुक्त मुआवजा राशि के अतिरिक्त भूमि की कीमत पर धारा 23(1)ए के नियमानुसार 12 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा राशि धारा 4(1) के अन्तिम नोटिफिकेशन ऑफ पब्लिकेशन से भूमि पर कब्जा लेने या अवार्ड जारी करने तक की दिनांक जो भी पहले से न्यायालय में स्थगन की अवधि यदि कोई हो तो छोड़कर देय होगा साथ ही भू-अर्जन अधिनियम धारा 34 के अनुसार कब्जों की दिनांक से नहीं भुगतान की गयी राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक दर से 1 वर्ष की अवधि तथा 1 वर्ष के पश्चात् भुगतान की जाने वाली राशि पर भुगतान की तिथि पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा।

संरचनाओं (स्थाई व अस्थाई निर्माण) का मूल्यांकन आवासीय अभियन्ता से प्राप्त तकमीना रिपोर्ट जो कि प्रचलित बी.एस.आर. की दरों पर आधारित होती है के अनुसार तय की जाती है जिसकी गणना तकमीना प्राप्त होने पर की जा सकेगी। इसी प्रकार भूमि पर स्थित सभी प्रकार के वृक्षों बड़े, मध्यम व छोटी श्रेणी के लिये क्रमशः 1500, 500, 100 प्रति नग के हिसाब से दिया जाना प्रस्तावित हैं लेकिन यदि खातेदार मुआवजा नहीं लेकर पेड़ लेना चाहे तो उन्हें यह विकल्प दिया जा रहा है। यदि कोई स्ट्रक्चर्स भूमि के कब्जे से पूर्व खातेदार द्वारा हटा दिया जाता है तो सम्बन्धित अभियन्ता की रिपोर्ट के आधार पर राशि वसूल की जावेगी।

मुआवजा राशि व विकसित भूखण्ड हितधारियों द्वारा वर्तमान जमाबन्दी, मिलान क्षेत्रफल नामान्तरण आदि राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रति एवं किसी बैंक में रहन होने की स्थिति में सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण पत्र पेश करने पर ही यथोचित पहचान उपरान्त दिया जावेगा। किसी हितधारी की मृत्यु होने की दशा में वारिसान में विवाद न होने पर नामान्तरण व हाल जमाबन्दी में अंकित उत्तराधिकारियों को हिस्सेनुसार मुआवजा राशि व विकसित भूखण्ड दिये जावेंगे। साथ ही अवाप्ताधीन भूमि बाबत किसी सक्षम सिविल/राजस्व/उच्चतर न्यायालय में विवाद विचाराधीन होने पर उक्त अवार्ड सम्बन्धित न्यायालय के आदेशों/निर्णयों के अध्याधीन होगा तथा तदनुसार संशोधित किया जा सकेगा।

अतः भूमि का अवार्ड प्रारूप आज दिनांकको तैयार कर शासन उप सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज. जयपुर को अनुमोदनार्थ दोहरी प्रतियों में प्रेषित किया जा रहा है।

विशेषाधिकारी

आज्ञेय

 शासन उप सचिव-प्रथम
 नगरीय विकास विभाग
 शासन सचिवालय, जयपुर

488

// 13 //

राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के पत्र क्रमांक प.7(7)न.वि.वि./3/2007 दिनांक 19.03.12 के द्वारा अवार्ड का अनुमोदन किया गया। अतः इसी के अनुरूप उक्त अवार्ड को सरे इजलास घोषित किया जाकर मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से दिनांक 21.03.12 को जारी किया गया।

भू-अर्जन अधिनियम की धारा 12(1) के अनुसार अवार्ड सम्बन्धित पत्रावलियों में शामिल किया जाकर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 12(2) के अन्तर्गत सभी हितधारियों को अवार्ड की प्रति जरिए नोटिस सूचित किया जावे।

sd.
विशेषाधिकारी

क्रमांक:-ओ.एस.डी./न.वि.वि/12/ 994

दिनांक:- 26/3/12

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं

1. उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. तहसीलदार खेडली (मण्डी) जिला-अलवर।
4. सम्बन्धित खातेदार।
5. अवार्ड पत्रावली।

[Signature]
विशेषाधिकारी
विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर